

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी: पवर्तसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 19/2020

उनवान मुकदमा

1. पुनिया पिता अमरा जाति भील आयु लगभग 85 वर्ष निवासी हनुमान मन्दिर के पास गांव बडवी पटवार हल्का बडवी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. शंकर पिता अमरा जाति भील आयु लगभग 59 वर्ष निवासी हनुमान मन्दिर के पास गांव बडवी पटवार हल्का बडवी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता नागजी जाति भील आयु लगभग 61 वर्ष निवासी हनुमान मन्दिर के पास गांव बडवी पटवार हल्का बडवी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. राजेन्द्र कुमार पिता नागजी जाति भील आयु लगभग 59 वर्ष निवासी हनुमान मन्दिर के पास गांव बडवी पटवार हल्का बडवी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
3. रमेश पिता कमजी जाति भील आयु लगभग 45 वर्ष निवासी हनुमान मन्दिर के पास गांव बडवी पटवार हल्का बडवी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
4. प्रकाश पिता कमजी जाति भील आयु लगभग 42 वर्ष निवासी हनुमान मन्दिर के पास गांव बडवी पटवार हल्का बडवी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
5. श्री सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बांसवाडा व जिला बांसवाडा (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थीगण वकील : श्री राजकुमार लखानी

अप्रार्थीगण अधिवक्ता : श्री नानालाल, श्री परतु निनामा

आदेश

दिनांक :-19-03-2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा के तत्काल आदेश बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसकी प्रति अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को दिलाई गई। वकूलाय की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में अपने कथन में बताया कि प्रार्थीगण अपने सह खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या नई 77 व पुरानी 64 के (1) खसरा नम्बर 122 रकबा 3.09 बीघा किस्म राकड चरनोई, (2) खसरा नम्बर 125 रकबा 2.04 बीघा किस्म बै. तृतीय (3) खसरा नम्बर 442/127 रकबा 1.00 बीघा किस्म जंगल (4) खसरा नम्बर 443/127 रकबा 2.07 बीघा किस्म जंगल कुल खसरा 4 रकबा 9.00 बीघा वाके राजस्व ग्राम बडवी पटवार हल्का बडवी तहसील व जिला बांसवाडा की बटवारा का वाद श्रीमान् न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण गैर कानूनी निर्माण कर रहे है। अतः सह खातेदार भूमि पर श्रीमान न्यायालय के मूल वाद के निर्णय दिनांक तक अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश फरमाने निवेदन है। अप्रार्थीगण कृषि भूमि

h
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

में से खसरा नं. 459/129 रकबा 4.00 बीघा पर गैर कानूनी तरिके से यह जानते हुए कि उक्त कृषि भूमि का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है गैर कानूनी अपना कब्जा बनाने के लिये पाया खुदाई कर रहा है।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 459/129 की भूमि पर निर्माण नहीं कर रहे हैं। अप्रार्थीगण अपने एकल खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 459/127 पर ग्राम पंचायत बडवी के क्रमांक 24 दिनांक 04-09-2020 को जारी नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर अपने आवासीय भवन का निर्माण कर रहा है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को हेरान व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को निरस्त कर खारीज करने निवेदन है।

उक्त पत्रावली का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर गहन मनन किया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी बडवी खाता संख्या 77 नई 64 पुरानी कुल खसरा 4 कुल रकबा 9.00 बीघा में सह खातेदार है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने इस सहखातेदारी भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने ग्राम बडवी के खसरा नम्बर 459/129 रकबा भूमि पर निर्माण न करना बताते हुए खसरा नम्बर 458/127 रकबा 1.15 बीघा देवीलाल पिता नगजी भील साकिन देह खातेदार की भूमि पर निर्माण करना अवगत कराया। इसके साक्ष्य में खतौनी ग्राम बडवी पटवार क्षेत्र बडवी तहसील व जिला बांसवाड़ा सम्वत् 2070 से 2073 पेश की गई। जिसमें खसरा संख्या 458/127/1 रकबा 1.15 का देवीलाल पिता नगजी भील साकिन देह खातेदार है। जो की इस प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 है। अतः उक्त दोनों भूमि के खसरा नम्बर अलग-अलग है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना में वर्णित भूमि पर निर्माण होने बाबत कोई तर्क संगत साक्ष्य पेश नहीं किये न ही अप्रार्थीगण के जवाब के खंडन में कोई तर्क संगत कारण पेश कर पाये। अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहखातेदार है। भूमि के बटवारे का वाद न्यायालय में दायर होकर विचाराधीन है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि निर्माण बाबत तर्कसंगत साक्ष्य पेश नहीं किये है। वादग्रस्त भूमि पर निर्माण करना कथन किया किन्तु यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि किस आराजी नम्बर की भूमि पर निर्माण किया जा रहा है। तत्काल आदेश के प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या (3) पर आराजी नम्बर 459/129 रकबा 4.00 बीघा पर गैर कानूनी अपना कब्जा बनाने के लिए खुदाई कर रहा है का अंकन है। जबकि दिनांक 10.08.2020 के प्रार्थना पत्र में उक्त आराजी नम्बर का कोई खसरा नहीं है। अप्रार्थीगण ने जवाब के साथ जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया उनके कार्यालय ग्राम पंचायत बडवी की खसरा नम्बर 458/127 पर आवासीय भवन के निर्माण की स्वीकृति तथा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 ग्राम बडवी प्रस्तुत की है। जिसमें एकल खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 श्री देवीलाल पिता नगजी है। अतः उक्त साक्ष्यों से वादग्रस्त भूमि पर निर्माण नहीं किया जाकर स्वयं के एकल खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 458/127 पर निर्माण कार्य किया जाना जाहिर हुआ है। प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में जाहिर होना सिद्ध हुआ है। साथ ही सहखातेदारी की भूमि बटवारा होने पर ही जाहिर हो पायेगा कि कौनसी भूमि किस खातेदार की है। अभी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकार्डड संयुक्त खातेदार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम

1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा में तत्काल आदेश बाबत अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टया उचित होगा।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू प्राथीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ संलग्न किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19-03-2021 को सुनाया गया।



h
(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बासवाड़ा (राज.)
बासवाड़ा